प्रेषक,

वित्त अधिकारी,
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

सेवा में,

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
पार्टी संख्या-03
ए.एम.जी.-II

पत्रांक: लेखापरीक्षा / 2024-25 | ले० 1969/25

विषय:-लेखा परीक्षा से सम्बंधित आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । दिनांक-28.03.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके कार्यालय की लेखा परीक्षा दल के सम्मानित सदस्यों द्वारा कार्यालय में उपस्थित रहकर दिनांक 11.03.25 से 28.03.25 तक लेखा परिक्षण तथा निरीक्षण किया गया है।

उक्त लेखा परीक्षण के क्रम में निर्धारित प्रारूपों में आख्या/उत्तर उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपर्युक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्त अधिकारी,संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बजट सम्बन्धी कार्यों में व्यस्तता के कारण अतिरिक्त समय की आवश्यकता का अनुरोध किया गया है ।

अतः अतिरिक्त समय दिनांक 11.04.2025 तक प्रदान करने का कष्ट करें,जिससे आख्या तैयार कर आपके समक्ष प्रेषित की जा सके ।

भवदीय

वित्त अधिकारी 28/03/25
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

वित्त अधिकारी
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

प्रेषक,

वित्त अधिकारी,
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

सेवा में,

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,
पार्टी सं०-03
ए०एम०जी०-II

पत्रांक: लेखापरीक्षा/2024-25/ले०2107/2025

विषय:- लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। दिनांक:15.04.2025

महोदय,

उपर्युक विषयक पत्रांक: लेखापरीक्षा/2024-25/ले०1969/25 दिनांक:28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके कार्यालय की लेखापरीक्षा दल के सम्मानित सदस्यों द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 11.03.2025 से 28.03.2025 तक लेखा परीक्षण तथा निरिक्षण का कार्य किया गया है।

उक्त लेखा परीक्षण के क्रम में निर्धारित प्रारूपों में आख्या/उत्तर उपलब्ध कराने को कहा गया था| उपर्युक के क्रम में पूर्व में दिनांक 11.04.2025 तक का समय माँगा गया था, के सम्बन्ध में अवगत करना है कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी के वित्त अधिकारी का मुख्य प्रभार होने तथा लखनऊ में बजट सम्बन्धी बैठकों में व्यस्तता के कारण अतिरिक्त समय की आश्यकता का पुनः अनुरोध है।

अतः अतिरिक्त समय दिनांक 20.04.2025 तक प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे आख्या तैयार कर आपके समक्ष प्रेषित की जा सकें।

भवदीय

वित्त अधिकारी,
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

समापन बैठक (एग्जिट कांफ्रेंस) का कार्यवृत

कार्यालय वित्त अधिकारी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की दिनांक 11.03.2025 से 28.03.2025 तक स्थानीय लेखापरीक्षा की गयी जिसकी समाप्ति पर दिनांक 28.03.2025 को समापन बैठक आयोजित किया गया जिसमे निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

क्रम सं.	इकाई की और से	लेखापरीक्षा की और से
1-	प्रोफेसर विहारी लाल शर्मा, कुलपति	श्री आलोक राय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2-	श्री राकेश कुमार (आई ए एस), कुलसचिव	श्री पवन कुमार प्रजापति, लेखापरीक्षक
3-	श्री संतोष कुमार शर्मा, वित्त अधिकारी	
4-	श्री सतेन्द्र अग्रवाल, सहायक कुलसचिव (लेखा)	

बैठक में लेखापरीक्षा की ओर से इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में किये गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई:

(क) लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई का ध्यान लेखा एंव लेखापरीक्षा अधिनियम-2007 के प्रस्तर 197 से 200 की तरफ खींचा गया जिसके प्राविधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर प्राप्ति के एक माह के अन्दर दिया जाना है। कार्यालय वित्त अधिकारी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया.

(ख) इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों को अगली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने के आश्वासन दिया गया.

(ग) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को यथाशीघ्र दूर करने एवं अनुश्रवण के लिए कार्यालय वित्त अधिकारी ,संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आश्वासन दिया गया.

(घ) लेखापरीक्षा द्वारा यह अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय वित्त अधिकारी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर आधारित होगा और यदि इकाई द्वारा कोई सूचना छिपायी गयी अथवा अप्रस्तुत रही, तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-1) उत्तर प्रदेश,प्रयागराज का नहीं होगा ।

(श्री संतोष कुमार शर्मा)
कार्यालय
वित्त अधिकारी,संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी
वित्त अधिकारी
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

(श्री आलोक राय)
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ऑडिट-प्रथम)
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज

लेखापरीक्षा सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम), उत्तर–प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक–प्र0म0ले0(आडिट–प्रथम)/ए.एम.जी–2(दलसंख्या–01)/01 दिनांक 13.04.2022

सेवा में,

वित्त नियंत्रक

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

महोदय,

सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय वित्त नियंत्रक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की लेखापरीक्षा दिनांक 18.04.2022.से 25.05.2022 तक किया जाना प्रस्तावित है लेखापरीक्षा दल के सदस्य निम्नवत् हैः–

1. श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
2. श्री दिनेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
3. श्री गुलशन कुमार बत्रा, लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) के साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 (www.cag.gov.in) के अध्याय–2 के प्रस्तर–6 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार प्रदत्त है कि वहः

(क) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे(

(ख) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखे, खाते, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हो जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जायें जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे(और

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछे या ऐसी टीका–टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उन्हें किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उनका कर्तव्य है।

ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए किये गये अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

उपरोक्त के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर–प्रदेश शासन, लखनऊ ने पत्रांक वि0 स0 प्र0(सि/रे)/दस–10(45)/12 दिनांक 04.05.2012 द्वारा समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्देशित किया है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 2(ई) के साथ पठित धारा 18 व लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 के अध्याय–2 के प्रस्तर–6 में निहित प्राविधान के अनुसार लेखापरीक्षा के समय ही सभी सुविधाएं और जानकारी के लिए लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गये अनुरोधों को यथा सम्भव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे। सम्परीक्षा के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण पुनः शासन के संज्ञान में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विगत निरीक्षण तिथि से लेकर प्रस्तावित लेखापरीक्षा तिथि तक की अवधि के प्रारम्भिक लेखा एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु तैयार रखें।

<u>कृपया पत्र की पावती सुनिश्चित करें।</u>

भवदीय

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ले0प0दल–01

[वित्त] अधिकारी
[सम्पू]र्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
[व]ाराणसी–221002

दूरलेख : 'श्रुतम्'
दूरभाष : (0542) 2204372 (कार्या.)
फैक्स : (0542) 2204372

पत्रांक लो०5।।/2022

दिनांक 10-06-2022

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
ए•एस•जी–2/आडिट पत्र संख्या–01,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम) उ•प्र•, प्रयागराज।

महोदय,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की लेखापरीक्षा दि• 18.05.2022 से 02.06.2022 तक की गई। जिसमें आडिट नोट पृष्ठ संख्या – 01 से 268 तक प्राप्त किया गया है। परन्तु आडिट आपत्तियों का उत्तर दिनांक 10.06.2022 तक दिये जाने हेतु समय लिया गया था। परन्तु विश्वविद्यालय में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा महोदय के आगमन के कारण कार्य की व्यस्तता के कारण आडिट आपत्तियों का उत्तर समय से तैयार नही होने के कारण ~~इसलिए~~ कुछ आपत्तियों के उत्तर तैयार नही हो पाया है।

अतः आप से अनुरोध है कि आडिट आपत्तियों के उत्तर तैयार होने हेतु दिनांक 15.06.22 तक समय दिये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

10.06.22

(केश लाल)
वित्त अधिकारी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

सेवा में,

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.–2/आडिट दल/संख्या–01
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम) उ0प्र0 प्रयागराज

महोदय,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की लेखापरीक्षा दिनांक 18.05.2022 से 02.06.2022 तक की गई। जिसमें आडिट नोट पृष्ठ संख्या–01 से 268 तक प्राप्त किया गया है। परन्तु विश्वविद्यालय में कार्य की व्यस्तता के कारण आडिट आपत्तियों का उत्तर समय से तैयार नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आडिट आपत्तियों के उत्तर तैयार करने हेतु दिनांक 10.06.2022 तक समय दिये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

वित्त अधिकारी
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

<u>**प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेस) का कार्यवृत्त**</u>

कार्यालय सम्मपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व दिनांक 18-04-2022 को वित्त नियंत्रक के साथ बैठक (इंट्री कांफ्रेस) आयोजित की गयी जिसमे निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया–

क्रम सं0	इकाई की ओर से	लेखापरीक्षा की ओर से
	सर्वश्री	
1.	प्रो. सुधाकर मिश्र वित्त [illegible]	दिनेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2.	श्री त्रिभुवन मिश्र कार्यालय लेखा	गुलशन कुमार वर्मा, [illegible]
3.	श्री शशि कुमार पाण्डेय कैशियर	
4.	श्री रघुनाथ त्रिपाठी वरि० सहायक	

बैठक के प्रारम्भ में वित्त नियंत्रक, सम्मपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा बैठक मे सम्मिलित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया तथा कार्यालय के क्रियाकलापों से अवगत कराया। तत्पश्चात लेखा परीक्षा दल द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय की लेखापरीक्षा दिनांक 18.04.2022 से 25.05.2022 तक किया जाना प्रस्तावित है जिसमें माह 11/2017 से 03/2022 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच की जायेगी। आवश्यक होने पर लेखापरीक्षा क्षेत्र को बढ़ाते हुए पूर्व के अभिलेखों की भी जांच की जा सकती है।

2. लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई का ध्यान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिनियम (सीएजी डीपीसी एक्ट 1971) की धारा 13 से 20 एवं 23 तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम–2007 के प्रस्तर 174 से 192, 195 से 197 मे वर्णित प्रावधानों की तरफ दिलाया गया। उपरोक्त प्रावधानों की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट्स (<u>ण्बंहण्हवअण्पद</u>) को देखा जा सकता हैं।

3. बैठक मे लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदण्डों, कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्वति पर विस्तार से चर्चा की गयी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान सामान्यतया कार्यालय के अभिलेखों की जॉच की जाएगी। किसी सन्दर्भ की आवश्यकता में अन्य संबंधित कार्यालयों/इकाईयों से सम्बंधित लेखा अभिलेखों की जॉच भी की जा सकती है। जिन्हें इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. लेखापरीक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि संव्यवहारों एवं अभिलेखों का चयन मूल्य, जोखिम एवं रैंडम्स को ध्यान रखते हुए किया जाएगा।

6. लेखापरीक्षा दल द्वारा लेखापरीक्षा कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा लेखा अभिलेखों को समय से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्गत किये गये ज्ञापनो पर इकाई की टिप्पणियॉ उसके प्राप्ति के अगले दिन ही दिये जाने का भी आग्रह किया गया।

7. सुचारू रूप से लेखापरीक्षा सम्पन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी (कार्यालय स्तर पर व अनुभाग स्तर पर) नामित करने का अनुरोध किया गया। वित्त नियंत्रक, सम्मपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा लेखापरीक्षा में पूर्ण सहयोग दिये जाने का आश्वासन देते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया:

क. श्री प्रवेश कुमार यादव

ख. " मुकेश कुमार पाण्डेय

8. लेखापरीक्षा की समाप्ति पर समापन बैठक (एग्जिट कांफ्रेंस) आयोजित की जायेगी जिसमे महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सुधाकर मिश्र 18/4/22
(इकाई की तरफ से बैठक मे भाग लेने वाले अधिकारी का नाम)
पदनाम वित्त-अधिकारी
इकाई का नाम एवं पता
वित्त अधिकारी
पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

18-4-22
(लेखापरीक्षा की तरफ से बैठक मे भाग लेने वाले अधिकारी का नाम)
पदनाम
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

भाग दो (ब)

प्रस्तर–11 आन्तरिक नियंत्रण का अभाव।

1. सिक्यूरिटी विभाग एवं अन्य सम्बन्धित पटलों द्वारा सिक्यूरिटी/सफाईकर्मी/डाटा इन्ट्री आपरेटर की संविदा की नियुक्ति तथा भुगतान एवं ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई से सम्बन्धित सूचनाये उपलब्ध नहीं करायी गई थी जिसे आगामी सम्प्रेक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

2. ऐतिहासिक मुख्य भवन के जीर्णोद्वार हेतु धनराशि रू.1094.00 लाख व्यय करने के **उपरान्त कार्यदीय संस्था द्वारा थर्ड पार्टी आख्या न** दिये जाने के कारण, भवन हस्तगत नहीं किया गया था। भवन शीघ्र कार्यदायी संस्था से हस्तान्तिरित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के लेखाभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि यूनिर्वसिटी ग्रान्ट कमीशन के बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास मद कैपिटल हेड–35 के मानक मद में तथा जनरल हेड–31 के मानक मद में कुल धनराशि रू. 341.20 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष धनराशि रू. 341.15 लाख व्यय किया गया है धनराशि रू. 0.04 लाख अवशेष थी। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि इलाहाबाद बैंक खाता संख्या–21062855696 के बैक स्टेटमेंट में दिनांक 31.03.2022 तक धनराषि रू. 5,06,66,627.00 अवशेष है। बैंक में अवशेष धनराशियों में से ब्याज की राशि को यू.जी.सी. को वापस किया जाना। तथा अन्य राशियों का समायोजन किया जाना अपेक्षित रहेगा।

4. शताब्दी भवन की आय से शताब्दी भवन की मरम्मत का कार्य बेहतर स्थिति में लाने हेतु संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि शताब्दी भवन की बैंक पासबुक में धनराशि रू. 2,12,78,182.00 अवशेष थी। यदि शताब्दी भवन का रखरखाव तथा मरम्मत का कार्य बेहतर रूप से किया जाये तो विश्वविद्यालय की आय की बढोत्तरी हो सकती हैं। सम्प्रेक्षा को यह अपेक्षा रहेगी कि शताब्दी भवन का उच्चीकृत कर भविष्य में इसका उपयोग आय बढाने में सहयोग मिलेगी।

5. विश्वविद्यालय में बैलेन्सशीट नहीं बनायी गई थी। इंगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि तुलनपत्र बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

6. जेम पोर्टल से कय की गई सामाग्रियों की एल.–1 के निर्धारण की पत्रावली में संलग्न नहीं की गई थी। और चार फर्मो को धनराशि भुगतान हो चुका था। उनसे सामाग्री प्राप्त की गई है और कम्प्यूटर टेबल,मल्टीफक्शन प्रिन्टर मल्टी मिडियां प्रोजेक्टर अप्राप्त है। जिसे प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहेगा।

7. विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा उपभोग की गई उत्तरपुस्तिकाओं की नीलामी वित्तीय वर्ष 2016–17 से सम्प्रेक्षावधि तक नीलामी नहीं की गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं की लगभग लगभग छः वर्ष की अवधि व्ययतीत होने के बाद भी नीलामी नहीं किये जाने से उत्तर पुस्तिकाओं के कागज खराब होने से इंकार नहीं किया जा सकता है और इसकी नीलामी में मूल्यों में कमी होने से इंकार नही किया जा सकता है। सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने विभाग द्वारा नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर से स्पष्ट है कि उत्तर पुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की गई थी। उक्त उत्तर पुस्तिकाओं शीघ्र नीलामी किया जाना अपेक्षित रहेगा।

8. विश्वविद्यालय में 04 वाहन आंफरोड है, जो कि मरम्मत योग्य नहीं थे, **नियमानुसार मिलाने की कार्यवाही कर उससे प्राप्त धनराशि की सुसंगत लेखा–शीर्षक में जमा किया जाना अपेक्षित रहेगा ।**

9. विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में नामांकन प्रपत्र , परिवार का विवरण, राज्य सामूहिक बीमा योजना का प्रपत्र प्रमाणित कर चस्पा कर संलग्नक नहीं किया गया, और कुछ कर्मचारियों का सेवा लेखांकन नहीं किया गया , उपरोक्त कमियों को पूर्ण किया जाना आपेक्षित रहेगा ।

10. विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद से कम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूर्ति हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना था तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्राचार किया जाना आप्रेक्षित रहेगा ।

11. विश्वविद्यालय में शासकीय डाक टिकट पंजिका में मासिक विवरण एवं पृष्ठों की संख्या अंकित कर सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहेगा ।

12. विश्वविद्यालय में सरकारी आवासों पर विद्युत मीटर क्रय किये गये , परन्तु नियमानुसार विद्युत संयोजन की कार्यवाही नहीं किया जाना अपेक्षित रहेगा ।

13. विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विभाग के द्वारा पुस्तको का रख रखाव एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । अतः सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। उक्त कमियों का पालन किया जाना आगामी सम्प्रेक्षा में अपेक्षित रहेगा ।

19. विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ग्रुप सी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि के लेजर में नियमानुसार गणना तथा वर्ष के अन्त में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया एवं कुछ कर्मचारियों का डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासनादेश की जांच के अनुसार डी0ए0 की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहेगा ।

20. वेतन निर्धारण में अनियमितता पाया जाना।

किसी भी कर्मचारी के वेतन का निर्धारण करते समय यह आवश्यक है कि निर्धारण [illegible]

[illegible] कि श्री [illegible] शुक्ल, प्रोफेसर एवं श्री हरि [illegible] में वेतन का निर्धारण किया गया था। जिसमें वेतन निर्धारण में वेतनवृद्वि का विकल्प पत्र कर्मचारी से समय से नहीं मांगा गया था बिना कर्मचारी की सहमति एवं विकल्प पत्र के विभाग द्वारा वेतन निर्धारण कर दिया गया। क्योंकि पत्रावली में विकल्प पत्र उपलब्ध नहीं था। जिससे कर्मचारी को वेतन में वेतनवृद्वि की हानि हो रही है। इसमें कर्मचारी स्तर पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर उक्त के सम्बन्ध में विभाग के पटल सहायक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जिसमें बताया गया कि सम्बन्धित पटल से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है उत्तर प्राप्त होते ही प्रेषित कर दिया जायेगा। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है उक्त के सम्बन्ध में पटल [illegible]